

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त तथा व्यय)

सं. एफ1 (25) 2006/ निदेशक (नजारत) जीजे/डीडीए/ पार्ट. I/ 339

दिनांक: 29.11.11

एफ एंड ई परिपत्र सं. 13/2011

ओपीडी प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा को वेतनमान के साथ लिंक करने से संबंधित दिनांक 05.01.2011 के एफ एवं ई परिपत्र सं. 1/2011 के मामले के फलस्वरूप, एतद द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत कर्मचारियों के साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा मासिक मेडिकल अंशदान की राशि वसूली योग्य होंगे।

क्र.सं.	वार्षिक सीमा	मासिक चिकित्सा योगदान
1.	रु. 7,500/- (समूह घ)	रु. 15/-
2.	रु. 10,000/-	रु. 40/-
3.	रु. 15,000/-	रु. 70/-
4.	रु. 20,000/-	रु. 100/-
5.	सीमा नहीं (प्राधिकरण सदस्य के लिए वास्तविक के अनुसार)	रु. 150/-

इसे उपाध्यक्ष, डीडीए के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(मनीष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी, उप राज्यपाल, दिल्ली;
2. विशेष कार्याधिकारी, उपाध्यक्ष, डीडीए;
3. विशेष कार्याधिकारी, एफएम, डीडीए;
4. निजी सचिव, ईएम, डीडीए;
5. सभी प्रमुख आयुक्त;
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी;
7. निजी सचिव, सीएओ, डीडीए;
8. मुख्य कानूनी अधिकारी/ मुख्य वास्तुकार;
9. सचिव, डीडीए
10. सभी आयुक्त;
11. सभी मुख्य अभियंता;
12. एफए (एच)/ निदेशक (एलसी)/ निदेशक (आईए)/ निदेशक (वित्त)/ निदेशक (एमएम)/ निदेशक (पी)/ निदेशक (कार्य)/ निदेशक (डब्ल्यू/सी)/ निदेशक (उद्यान) एसई तथा एनडब्ल्यू;
13. सभी उप सीएओ (एचक्यू), जोन, सतर्कता, एलसी/ उप एफए (एच)-I तथा II
14. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिकता)/ पीएओ (ईडब्ल्यू)/ वरिष्ठ एओ (पीई);
15. गार्ड फाइल
16. नोटिस बोर्ड



उप सीएओ/ एनएमएस